

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2011/TG-I/20/P/R.Form

New Delhi, dated 17.12.2015

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 73 OF 2015)

Sub: Booking of ticket by giving full name.

As per extant instructions, reservation should be made in the name of each individual by writing their name. However, instances have been brought to the notice of this office where reservation clerks generated reservation tickets using only such short names which can be easily misused by unscrupulous elements.

2. The matter has been examined and it is desired that while booking the ticket, the booking clerks will invariably mention the full name of the passenger and the surname wherever available in case of all the passengers subject to the maximum number of characters which can be filled in this column and in no case the ticket will be booked in the abbreviated names like A. Sharma, B. Sharma, etc. Any lapse on this account should be viewed seriously and the erring staff should be taken up under Disciplinary and Appeal Rule.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned for strict compliance.


(Vikram Singh)

**Director Passenger Marketing
Railway Board**

Copy to:

- 1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
- 7) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 8) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 9) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- 10) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टीजी-1/20/पी/आर.फार्म

नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2015

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 73)

विषय: पूरा नाम देकर टिकट बुक करना।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखकर उसके नाम से आरक्षण किया जाना चाहिए। बहरहाल, इस कार्यालय के नोटिस में ऐसे मामले आए हैं जिनमें आरक्षण क्लर्कों द्वारा केवल संक्षिप्त नाम दर्ज करके आरक्षण टिकट जारी किए गए हैं जिनका अवांछित तत्वों द्वारा आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।

2. इस मामले की जांच की गई है और यह वांछा की जाती है कि टिकट बुक करते समय, बुकिंग क्लर्क द्वारा सभी यात्रियों के मामले में, अक्षरों की अधिकतम संख्या, जिन्हें इस कॉलम में भरा जा सकता है, के अध्यक्षीन अनिवार्यतः यात्री के पूरे नाम का उल्लेख किया जाएगा और जहां कहीं उपलब्ध हो उपनाम का भी उल्लेख किया जाएगा और किसी भी स्थिति में संक्षिप्त नाम जैसे कि ए. शर्मा, बी. शर्मा आदि पर टिकट बुक नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में हुई किसी चूक को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. इसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किये जाएं।


(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः

- 1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक वित्त (सी), वि.का.अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) और सतर्कता (एसएस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
- 3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ोदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 7) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 8) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 9) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71